

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 1894/80 /  
ग्रा0वि0-11/बि0वि0प0-27/2023

पटना/ दिनांक 07/07/2023

प्रेषक

राम कुमार पोद्दार,  
उप मिशन निदेशक।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
पंचायती राज विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय :- श्री विजय कुमार सिंह, (भागलपुर, बाँका स्थानीय प्राधिकार), मा0स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-Neva- 1/204/134 (डी0सी0-08) के हस्तांतरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री विजय कुमार सिंह, (भागलपुर, बाँका स्थानीय प्राधिकार), मा0स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-Neva- 1/204/134 (डी0सी0-08) का विषयवस्तु पंचायती राज विभाग से संबंधित है।

अतः तारांकित प्रश्न सं0-Neva- 1/204/134 (डी0सी0-08) की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से प्रश्नोत्तर बिहार विधान परिषद सचिवालय को भेजने की कृपा की जाय।

इसकी सूचना बिहार विधान परिषद सचिवालय को भी प्रेषित की जा रही है।  
अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(राम कुमार पोद्दार)

उप मिशन निदेशक

पटना, दिनांक 07/07/2023

ज्ञापांक 1894/80 /

प्रतिलिपि- बिहार विधान परिषद के प्रश्नोत्तर शाखा (NEVA) एवं अवर सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय के ज्ञापांक- 2757 (5) दिनांक 04.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त तारांकित प्रश्न को ग्रामीण विकास विभाग की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

ज्ञापांक 1894/80 /

पटना, दिनांक 07/07/2023

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(4)

(3)

जापांक 275765 (प्र०) वि०प०

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

सेवा में

श्रीजीव विकास

विभाग

श्री विजय कुमार शिंदे

पटना, दिनांक 4/7/23 20

कें 204 वें सत्र में पूछा जानवाला तारांकित प्रश्न संख्या 574/8 जिस रूप में सभापति द्वारा स्वीकृत किया गया है, संवेष्टित है।

इन तारांकित प्रश्नों को सदन के कार्यक्रम पर लाये जाने की तिथि शीघ्र ही सूचित की जायेगी।

श्री अरुण  
04/7/23

अवर-सचिव,  
बिहार विधान परिषद्।

वर्ग- 1

नेवा नं.- 1/204/134

तारांकित प्रश्न संख्या- डी. सी- 8

माननीय सदस्य- श्री विजय कुमार सिंह

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई

क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिला परिषद् को पांचवी वित्त एवं षष्ठी वित्त की राशि विकास हेतु खर्च करने के लिए आवंटित की गई है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त राशि का खर्च अधिकारियों की मनमानी के चलते नहीं हो रहा है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त राशि को विकास मद में खर्च करने का आदेश देना चाहेगी, साथ ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

### Bihar Vidhan Parishad Question

1/204/134

#### दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई

23/06/2023

23/06/2023

\*1/204/134 श्री विजय कुमार सिंह(भागलपुर,बाँका स्थानीय प्राधिकार )

ग्रामीण विकास

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिला परिषद् को पांचवी वित्त एवं षष्ठी वित्त की राशि विकास हेतु खर्च करने के लिए आवंटित की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त राशि का खर्च अधिकारियों की मनमानी के चलते नहीं हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त राशि को विकास मद में खर्च करने का आदेश देना चाहेगी, साथ ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

TR to PRD